19.03.2025

पत्रावली पेश हुई।

उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित।

वादीगण की संयुक्त व पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 301/110 रकबा 10.2547 हैक्टयर मौजा लीकडी, पटवार मण्डल बालासर, तहसील शिव में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को अपने पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता स्व0 चाम्पाराम की फोतगी पर खोले गये नामान्तरकरण भरते वक्त वादीगण के पिता का सही नाम चाम्पाराम की जगह चन्दाराम दर्ज किया गया। जबकि वादीगण के पिता का सही नाम चाम्पाराम पुत्र मानाराम है। वादीगण के पिता का नाम के अन्य आवश्यक दस्तावेजात के रेकर्ड इत्यादि में सही नाम व सही वल्दियत चाम्पाराम पुत्र मानाराम दर्ज है तथा हम वादीगण मेरे नाम व मेरी वल्दियत में एकरूपता रखने के लिए उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि मूलाराम वल्द चन्दाराम की जगह मूलाराम वल्द चाम्पाराम व राजूराम पुत्र चन्दाराम की जगह राजूराम वल्द चाम्पाराम सही नाम व सही वल्दियत की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह वाद घोषणा प्रस्तुत किया है।

वादीगण के वाद को पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में अवलोकन किया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी, वादीगण के पिता का चुनाव पहचानपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, वादीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के वल्दियत में चान्दाराम की जगह चाम्पाराम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में अपनी अनापति जाहिर की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादीगण की वल्दिय का सही नाम व सही वल्दियत मूलाराम वल्द चाम्पाराम व राजूराम वल्द चाम्पाराम होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खेत खसरा नम्बर 301/110 रकबा 10.2547 हैक्टयर मौजा लीकडी, पटवार मण्डल बालासर, तहसील शिव कि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीगण का नाम व वल्दियत मूलाराम वल्द चन्दाराम की जगह मूलाराम वल्द चाम्पाराम व राजूराम वल्द चन्दाराम की जगह राजूराम वल्द चाम्पाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2[illegible] सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner